छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 726/2007</u>

श्री ललित चन्द्रनाहू,
स्टेशन मार्ग, महासमुन्द,
जिला–महासमुन्द (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी विभाग संभाग,
महासमुन्द, जिला–महासमुन्द (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 28 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ललित चन्द्रनाहू ने दिनांक 25–05–2006 को कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग संभाग, महासमुंद से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 11–06–2006 को ही प्रस्तुत कर दी गई थी। जिस पर निर्णय न होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग में द्वितीय अपील दिनांक 19–07–2007 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में दिनांक 03–10–2007 को यह निर्देश दिया गया था, पूर्ण चाही गई जानकारी 15 दिन में निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे व तत्पश्चात् जो जानकारी वे चाहें उसकी प्रतिलिपि भी निःशुल्क दी जावे। उसी समय विलम्ब के कारण हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत 400/–रुपये (चार सौ रुपये) क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश भी दिये गये थे। अपीलार्थी ने दिनांक 06–11–2007 को यह आवेदन प्रस्तुत किया कि पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया है। अतः जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध 10,000/–रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये थे, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 23–01–2008 को प्रस्तुत किया गया था। उत्तर में उन्होंने कहा कि आयोग का पत्र पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण अपीलार्थी को सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, जो आदेश की प्रति उनके द्वारा बाद में आयोग से प्राप्त की गई और तत्पश्चात् दिनांक 05–12–2007 को अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से निःशुल्क अवलोकन हेतु आने की सूचना दी गई और उनके द्वारा 400/–रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान कर दी गई है। एक पत्र में लिपिकीय त्रुटि दिनांक 05–11–2007 अंकित होने के लिए दिनांक 11–12–2007 के पत्र से खेद भी व्यक्त किया गया है। किन्तु उसके बाद अपीलार्थी जानकारी अवलोकन हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये और न ही उनका कोई पत्र प्राप्त हुआ। उपरोक्त स्थिति में कार्यपालन अभियंता का उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद

प्रतीत होता है और उनके विरूद्ध शास्ति की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। किन्तु साथ ही चूँकि अभी तक जानकारी नहीं दी गई है, अतः कार्यपालन अभियंता को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अब आयोग के पूर्व निर्देशानुसार 01 सप्ताह के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क निरीक्षण करायें और फिर 15 दिन के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्रदान करें और इस संबंध में यदि अपीलार्थी की ओर से कोई विलम्ब होता है या लेने से इंकार होता है तो उसका विधिवत् पंचनामा बना लिया जाये और इसके लिये अपीलार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। चूँकि क्षतिपूर्ति की राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। अतः अन्य कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त